



7th October, 2026

Ref. No.: 102339/S/O/L-1/2026-27

The Manager,
Listing/Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Code – ASAHIIINDIA

BSE Code – 515030

Sub: Newspaper advertisement regarding special window for re-lodgement of transfer requests for physical shares

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (English – all editions) and Veer Arjun (Hindi – Delhi edition) on 7th October, 2026, intimating the special window opened for re-lodgement of transfer requests for physical shares which were sold / purchased prior to 1st April, 2019.

The copy of the intimation will also be made available on the Company's website at www.aisglass.com.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Asahi India Glass Limited,


Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No.: F 7090

GOPAL Digitally signed
by GOPAL
GANATRA
Date:
2026.10.07
16:31:07 +05'30'

RA

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.
Corporate Office: Unit No. 301-308,
1101-1104, 3rd and 11th Floor, Tower-D,
Global Business Park, M. G. Road,
Gurugram-122002 Haryana (India)
Tel.: +91 124 4062212-19
Fax: +91 124 4062244, 4062288
website: www.aisglass.com
Corporate Identity Number: L261020L1984PLC019542

Registered Office: A-2/10, 1st Floor
WHS DDA Marble Market, Kirti Nagar,
New Delhi - 110015 (India)
Tel.: +91-11-49454900

चिकित्सक मरीजों के प्रति करुणा दिखाएं : मुर्मू

बिलासपुर (हिप्र), (भाषा)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा पेशा केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि करुणा, संवेदनशीलता और समाज की निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च माध्यम है।

अपने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रपति ने बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ की देवी माता श्री नैना देवी को नमन किया। उन्होंने बिलासपुर की पवित्र धरती और इसके ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, मुझे नैना देवी के इस पवित्र धाम की यात्रा करके बहुत खुशी हो रही है। बिलासपुर वीरों की भूमि है। इसके वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करती हुई।

अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भारत की रक्षा में योगदान देने वाले उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पांच स्वर्ण

पदक विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया और अन्य विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं। स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थियों और स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा

मणिपुर में अवैध हथियारों की बिक्री के आरोप में युवक गिरफ्तार

इंफाल, (भाषा)। मणिपुर के इंफाल पूर्व जिले में अवैध हथियारों की बिक्री में कथित तौर पर शामिल 23 वर्षीय व्यक्ति को सरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने एक बयान में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों के एक दल ने सोमवार को थम्बालू बाजार में अभियान चलाया और संदिग्ध को पकड़ लिया। इसमें कहा गया कि वह अवैध हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों को

खरीद तथा बिक्री में शामिल है। जांच में पता चला कि आरोपी ने जुलाई में दो महिलाओं के जरिए 10,000

रुपये से ऊपर उठेगे। राष्ट्रपति ने कहा कि वह स्वयं भी एक दूर-राज और कठिन परिस्थितियों वाले परिवेश से आती हैं। स्नातक डिग्रीधारी चिकित्सा विद्यार्थियों से भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सच्ची संतुष्टि केवल निस्वार्थ सेवा से मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित लोगों के प्रति प्रेम और अपनेपन की भावना विकसित करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना उनके जीवन का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। समारोह में डॉक्टरों ने पारंपरिक कुर्ता-पायजामा और टोपी पहनकर डिग्रियां प्राप्त कीं।

इंडिया गठबंधन के मार्च में बीजद भी शामिल

नई दिल्ली, (भाषा)। बीजू जनता दल (बीजद) के सांसदों ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों के विरोध मार्च में हिस्सा लिया। इस मार्च को यहां संसद मार्ग पर रोक दिया गया।

इस बीच कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री-गृहमंत्री की जोड़ी के कथित नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए विपक्ष की एकजुटता कायम रहेगी, चाहे मामला बोट चोरी का हो या परिसीमन का। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि भारतीय बूट पार्टी की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर जाने वाले आज के विरोध मार्च में इंडिया गठबंधन के सांसद शामिल

थे और इसे निर्वाचन सदन के पास आकाशवाणी भवन के सामने रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजद के सांसद भी मार्च में शामिल हुए। रमेश ने कहा कि अन्य विपक्षी दल भी निश्चित रूप से भावना के स्तर पर मौजूद थे और संभव है कि कुछ ऐसे दल भी रहे हों जो फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री-गृहमंत्री (नरेंद्र मोदी-अमित शाह) की जोड़ी के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए विपक्ष की एकजुटता निश्चित रूप से कायम रहेगी, चाहे मामला बोट चोरी का हो या परिसीमन का। रमेश ने कहा, भारतीय बूट पार्टी की विदाई की उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होने के बावजूद बीजद के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजद सांसद मानस मंगराज और सुलता देव ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। देव ने

कहा, बीजद विरोध मार्च में शामिल हो रहा है।

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In the Court of **Ms. Akriti Mahendru, LD.,** Senior Civil Judge-cum-Rent Controller,(North District), Room No.214, 2nd Floor, Rohini Court, Delhi. **CS SCJ No.-17/2026** **Bank of Baroda**(Petitioner) **Versus** **Ravinder Kumar**(Respondent)

To, Defendants-**Mr. Ravinder Kumar C/o** Sh. Subhash, R/o House No. 234, Nai Basti Bankner, New Delhi-110044. Mob. No. 8745985358. Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **21st day of December, 2026** fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, this **31.08.2026.** **Seal** **Sd/-** **Senior Civil Judge/Rent Controller,(North) Rohini Courts, Delhi.**

Proclamation Requiring Attendance of Defendant Summons For Settlement of Issues

In the Court of **Ms. Kiran Gupta,** District Judge-02, (North-West) Room No. 317, 3rd Floor, Rohini Courts, Delhi. **Case No.:** **CS DJ/245/2024** **Mukesh**(Plaintiff) **Versus** **SushilTikku**(Defendant)

To, 1). Sh. SushilTikku S/o Sh. Amar Nath Tikku, (Defendant no.1), 2). Smt. Meenawati W/o Sh. RadhaKrishnMukhi, (Defendant No.2), 3). Smt. VeenaMukhi Pandita W/o Sh. Ashok Pandita (Defendant No.3), 4). Smt. C. Kiran Kaul (Defendant No.4), All R/o Plot No.86, Kh. No.48/5, Rajiv Nagar Extension, Village Karala, Delhi. Whereas Plaintiff has instituted a suit against you for and you are hereby summoned to file a written statement within 30 days of the service of the present summons and to appear in this court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the **19th day of January, 2027** at **10 O'clock** in the forenoon, to answer the claim; and further you are hereby directed to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off, or counter-claim you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement. Take notice that in default of your appearance on that day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and seal of the Court, this **17th day of September, 2026.** **Seal** **Sd/-** **District Judge-II, (NW) Rohini Courts, Delhi.**

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी / 84 सीएनएसएल देखिए

मेरे सम्मक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त **अनुप्रास श्रीवास्तव**, प्राप्रराइटर मेसर्स कॉमन ट्रेडर्स, पता: 2120, धात्री बाग, किनारी बाजार, दरिया कलां, चांदनी चौक, दिल्ली ने case **CC No. 820/2024 U/s 138 NI Act**, थाना: **मधु विहार, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **अनुप्रास श्रीवास्तव** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानमद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **अनुप्रास श्रीवास्तव** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case **CC No. 820/2024 U/s 138 NI Act**, थाना: **मधु विहार, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **अनुप्रास श्रीवास्तव** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवार/मुकदमा का उत्तर देने के लिए दिनांक **06.11.2026** को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री अन्घुषा श्रीवास्तव
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-05
कोर्ट रूम नं. 07, शाहदरा जिला कड़कड़दूगा कोर्ट, दिल्ली

DP/14196/ED/2026 (Court Matter)

असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड

CIN: L26102DL1984PLC019542

पंजीकृत कार्यालय: ए-2/10, प्रथम तल, उल्हसपुरकास टीडीए मार्बल मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015, फोन (011) 49454900 कॉर्पोरेट कार्यालय: तीसरा एवं चारहाथ तल, टीवर-वी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, महरीली-गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा) फोन: (0124) 4062212-19, फैक्स (0124) 4062244 / 88 E-Mail: investorelations@aisglass.com वेबसाइट www.aisglass.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुन: प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

हमारी सार्वजनिक सूचना दिनांक 10 मार्च, 2026, 13 मई, 2026 और 14 जुलाई, 2026 के क्रम में और सभी परिपत्र संस्था एचओ/38/13/12/2026 एम्आईआरएसडी पीओडी/ आई/ 3750/ 2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 1 अक्टू 2019 से पहले बेचे या खरीदे गए भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और विमूद्रीकरण की सुविधा के लिए 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 (दोनों दिन शामिल) तक एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो उक्त हस्तांतरण अनुरोधों को भी कवर करेगी जो पहले प्रस्तुत किए गए थे लेकिन दस्तावेजीकरण, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं या किसी अन्य कारण से अस्वीकृत, वापस कर दिए गए या खिंचे रखे गए थे। इसके अलावा, इस प्रकार हस्तांतरित शेयर डिमैटिरीकलाइज (डीमैट) रूप में हस्तांतरित की जाने में जमा किए जाएंगे और हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक इन में रहेंगे। लॉक इन अवधि के दौरान, ऐसे शेयरों का हस्तांतरण, गिरवी रखन, ग्रहणाधिकार अंकित करना या किसी अन्य प्रकार से भारित करना प्रतिक्रियित है। पात्र शेयरधारक निर्धारित अवधि के भीतर अपनी के रजिस्ट्रार दू पात्र हरेयू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

एसयूएफजी इटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड

पता: सी 101, एम्बेसी 247, एनबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई 400 083 ई मेल: investor.helpdesk@in.mnpus.mnpf.com

शेयरधारकों को अपनी की वेबसाइट <https://www.aisglass.com/upf-content/upload/2026/03/Special-Window-for-Transfer-and-Dematrealisation-of-Physical-Securities.pdf> पर उपलब्ध विस्तृत जानकारी देखने की सलाह दी जाती है।

गोपाल गनाना
कार्यालयिक निदेशक
जनरल काउंसल और कंपनी सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय कार्यपालन अभियंता,

जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>
निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 26.10.2026, (17.30 बजे) तक ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

सिस्टम निविदा क्रमांक	निविदा सूचना क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	निविदा की लागत जी. एस.टी. छोड़ कर (लाख में)	आमंत्रण का क्रमांक
200583	07 / व.ले.लि / 2026-27 दिनांक 05.10.2026	सीतारामपुर जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण कार्य।	444.41	प्रथम आमंत्रण

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर दिनांक 12.10.2026, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते हैं।
नोट: 1. निविदा में भाग लेने हेतु टेकेंदरों की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत टेकेंदर को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस निविदा में जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01.11.2025 से सभी तक जारी समस्त निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण पत्र मान्य होगा (प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 425001/IC/2016/सर्कू./अस्थाई./7989 रायपुर दिनांक 30.09.2026 के अनुसार)।
2. निविदा की अनुमानित लागत एस.ओ.आर. दिनांक 01.05.2025 एवं दिनांक 08.08.2025 के जारी संशोधन के अनुसार है।

हस्ता. /—
कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
क्षेत्र मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग
जी-262703761 / 8

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय कार्यपालन अभियंता,

जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>
निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 26.10.2026, (17.30 बजे) तक ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

सिस्टम निविदा क्रमांक	निविदा सूचना क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	निविदा की लागत जी. एस.टी. छोड़ कर (लाख में)	आमंत्रण का क्रमांक
200583	07 / व.ले.लि / 2026-27 दिनांक 05.10.2026	सीतारामपुर जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण कार्य।	444.41	प्रथम आमंत्रण

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर दिनांक 12.10.2026, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते हैं।
नोट: 1. निविदा में भाग लेने हेतु टेकेंदरों की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत टेकेंदर को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस निविदा में जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01.11.2025 से सभी तक जारी समस्त निविदा पूर्व अर्हता प्रमाण पत्र मान्य होगा (प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 425001/IC/2016/सर्कू./अस्थाई./7989 रायपुर दिनांक 30.09.2026 के अनुसार)।
2. निविदा की अनुमानित लागत एस.ओ.आर. दिनांक 01.05.2025 एवं दिनांक 08.08.2025 के जारी संशोधन के अनुसार है।

हस्ता. /—
कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
क्षेत्र मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग
जी-262703761 / 8

Proclamation Requiring Attendance of Defendant

(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

In the Court of **Ms. Bhavani Sharma,** Judge, Family Court-01, East District, Karkardooma Court, Delhi. **Suit No. CS 04/26** **Razia D/o Nabi Ahmed, At** present living at J-3/28, Gali No.7, Moorti Wali Gali, Laxmi Nagar, Delhi-110092 (Earlier R/o F-31-C, Top Floor, West Jawahar Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092, (Mob. No. 7836970223) **....Petitioner/Plaintiff V/S** **Mohd. Abid S/o Mohd. Ismail,** at present residing with his brother Mohd. Saqib Shehzad at J-3/2, 4th Floor, Gali No. 6, J-Extension, Laxmi Nagar, Delhi-110092 (Mob. No. 8800906977) **...Respondent/Defendant To,** **The Defendant Above Named** Whereas, you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **10.12.2026,** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, this **18.09.2026.** **Seal** **Sd/-** **Judge, Family Court-01, East District, Karkardooma Court, Delhi.**

"Publication"

In The Court of Sh. Gaurav Goyal, Additional Rent Controller-1, Central District, Room No.42, Tis Hazari Courts, Delhi. **Case Reg. No. RC/ARC/302/2026** **Hari Om Gupta** **Versus** **Deepak Goel** **To,** **Sh. Deepak Goel S/o Mahender Kumar @ MahenderGoel,** At Property No. 4904/1, Anaj Mandir, Rui Mandi, Sadar Bazar, Delhi. **The Defendant Above named** WhereasPetitioner has filed an application for your eviction from The Tenanted Premiss on the ground specified in clause (e) of the Proviso to Section (1) of section 14. You are hereby summoned to appear before the Controller within fifteen days of the service thereof and to obtain the leave of the Controller to contest the application for eviction on the ground aforesaid in default whereof, the applicant will be entitled at any time after the expiry of the said period of fifteen days to obtain an order for your eviction from the said premises. Leave to appear and contest the application may be obtained on an application to the controller supported by an affidavit as referred to in sub-section (5) of Section 25 (B). Given under my hand and seal of the court, this **30th day of September, 2026.** **Seal** **Sd/-** **Additional Rent Ccontroller-01 (Central), Tis Hazari Courts, Delhi.**

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

अधीक्षक अभियंता विद्युत जानपद पारेषण मंडल-नोएडा

ई-निविदा सूचना 32/ECTC/NOIDA/2026-27 दिनांक 06.10.2026

(53) 220 के.वी. उपकेन्द्र दादरी, ग्रेटर नोएडा पर 33 के.वी. 'बे' (मि. विद्युता मैटेरियल्स प्र. लि.) का जनपदीय निर्माण कार्य।
प्रपत्र शुल्क-रु. 590, धरोहर राशि रु. 3000

ई-निविदा अपनोड की अन्तिम तिथि: 05 नवम्बर 2026, 14.00 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएँ वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी।
पत्रांक: 1189 /वि.जा.पा.मं./नोएडा/दिनांक 06.10.2026

Proclamation Requiring Attendance of Defendant

(Order V, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

In the Court of **Sh. Ashutosh Kumar,** District Judge (Commercial Court-02), Room No. 25, Patiala House Court, New Delhi **CASE NO. CS (COMM.) 278/2025** **Manoj Kumar Choudhary V/S** **Ramesh Kumar To,** 1. Sh. Ramesh Kumar, Prop. M/s R. K. Lamination At:- Mazenine Floor, B-218, Naraina Industrial Area Ph-1, New Delhi-110028. **Also At:-** 2nd Floor, Plot No. 11-B, Kh. No. 186, Shyam Vihar, Phase-1, A-Block, Nazafgarh, New Delhi-110043. **Mobile:** 9810249562, 99999913084 and 9871684196 Whereas above named Plaintiff has instituted a commercial suit against you. You are hereby summoned to appear before this court in person or by a pleader on **19.11.2026 at 10:00 AM** to answer the same. The written statement must be filed within thirty days from the date of receipt of the summons. You are to also file affidavit of admission/denial of the documents filed by the plaintiff with written statement. It is made clear that any unjustified denial of documents and delay in the time lines may lead to an order of costs against the concerned party. Take notice that, in default of your appearance on that day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, this **11th day of August, 2026.** **Seal** **Sd/-** **District Judge (Commercial Court-02), Patiala House Court, New Delhi.**

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

अधीक्षक अभियंता विद्युत जानपद पारेषण मंडल-नोएडा

ई-निविदा सूचना 32/ECTC/NOIDA/2026-27 दिनांक 06.10.2026

(53) 220 के.वी. उपकेन्द्र दादरी, ग्रेटर नोएडा पर 33 के.वी. 'बे' (मि. विद्युता मैटेरियल्स प्र. लि.) का जनपदीय निर्माण कार्य।
प्रपत्र शुल्क-रु. 590, धरोहर राशि रु. 3000

ई-निविदा अपनोड की अन्तिम तिथि: 05 नवम्बर 2026, 14.00 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएँ वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी।
पत्रांक: 1189 /वि.जा.पा.मं./नोएडा/दिनांक 06.10.2026

Proclamation Requiring Attendance of Defendant

(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

In the Court of **Sh. Pankaj Arora,** District Judge -16, (Central District), Room No. 502, Fifth Floor, Extension Block, Tis Hazari Courts, Delhi. **CS DJ-1262/2019** **PNB**(Plaintiff) **Versus** **Jitender Singh AndOrs**(Defendant) **To,** **Mr. Ashik,** House No.51, Village Reva, Gurugram-122108. **Mobile No.** 90500074537. Whereas you are intentionally evading services of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on **28.10.2026 at 10 AM,** the day fixed for final disposal, it will be heard and determined ex-parte. **Date of Issue:** **24.09.2026.** **Seal** **Sd/-** **District Judge-16 (Central) Tis Hazari Courts, Extension Block, Delhi-54.**

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे सम्मक्ष परिवार किया गया है कि अभियुक्त सौरभ ज़िंदल, पुत्र: पुरुषोत्तम ज़िंदल, निवासी: डी-17 / 297, सेक्टर-3, रोहिणी (प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स तेजरविनी पैकेजिंग), प्लॉट-9, ब्लॉक-आई, सेक्टर-1, डीएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया बाना, दिल्ली ने **CT Case/ CC NI Act: 4368/2023, U/s: 138 NI ACT**, पुलिस थाना पंजाबी बाग, नई दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त सौरभ ज़िंदल मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानमद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त सौरभ ज़िंदल फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि पुलिस थाना पंजाबी बाग, नई दिल्ली के अभियुक्त सौरभ ज़िंदल से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 17.11.2026 या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री गौरव सिंघल
जी गौरव सिंघल
तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली

Proclamation Requiring Attendance of Defendant

(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

In the Court of **Ms. Akriti Mahendru, LD.,** Senior Civil Judge-cum-Rent Controller,(North District), Room No.214, 2nd Floor, Rohini Court, Delhi. **CS SCJ No.-132/2026** **Bank of Baroda**(Petitioner) **Versus** **Ashok @ Ashok Yadav**(Respondent) **To,** Defendants-**Ashok @ Ashok Yadav,** S/o Sh. Raj Kumar Yadav, H.No. 1642, Main Handi Pana, Alipur, Delhi-110036. Mob. No. 8800562506. **Also At:** Shop No.6, Village Jindpur, Alipur, Delhi-110036. Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **22nd day of December, 2026** fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, this **31.08.2026.** **Seal** **Sd/-** **Senior Civil Judge/Rent Controller,(North) Rohini Courts, Delhi.**

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे सम्मक्ष परिवार किया गया है कि अभियुक्त सौरभ ज़िंदल, पुत्र: पुरुषोत्तम ज़िंदल, निवासी: डी-17 / 297, सेक्टर-3, रोहिणी (प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स तेजरविनी पैकेजिंग), प्लॉट-9, ब्लॉक-आई, सेक्टर-1, डीएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया बाना, दिल्ली ने **CT Case/ CC NI Act: 4368/2023, U/s: 138 NI ACT**, पुलिस थाना पंजाबी बाग, नई दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त सौरभ ज़िंदल मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानमद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त सौरभ ज़िंदल फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि पुलिस थाना पंजाबी बाग, नई दिल्ली के अभियुक्त सौरभ ज़िंदल से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 17.11.2026 या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री गौरव सिंघल
जी गौरव सिंघल
तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली

वैधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उदाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उदाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के बिबरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख को पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होता।